

संख्या— /XXVIII(5)/2024 (E-69473)

प्रेषक,

डॉ० आर० राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय,
देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5 देहरादून: दिनांक जुलाई, 2024

विषय— राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर गढ़वाल के चिकित्सालय परिसर में 45 संकाय सदस्यों हेतु ट्रांजिस्ट हॉस्टल के निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-176/चि०शि०/12/23/2019 दिनांक 20 जनवरी, 2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर गढ़वाल के चिकित्सालय परिसर में 45 संकाय सदस्यों हेतु ट्रांजिस्ट हॉस्टल के निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन का टी०ए०सी०, नियोजन द्वारा ₹ 850.19 लाख (S.I मद में ₹ 756.66 लाख तथा N.S.I मद में 93.53 लाख) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उक्त के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2024 के प्रस्तर-16 के प्राविधानुसार संगत मद में प्राविधानित धनराशि में से चालू कार्य हेतु नियत 20 प्रतिशत धनराशि ₹ 100.00 लाख (₹ एक करोड़ मात्र) को अवमुक्त करते हुए, निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रख, व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निदेशालय द्वारा कार्य के आगणन में सम्मिलित की जा रही GST देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय। उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु निदेशालय/सम्बन्धित प्राचार्य/कार्यदायी संस्था स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।
2. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
4. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
5. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
6. प्रस्तावित कार्य योजना पर कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. प्राविधिक स्वीकृति हेतु शासनादेश संख्या-14910/XXVII(7)/E-20109/2022 दिनांक 25 अगस्त, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं समस्त संगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है तथा धराशि को डिपॉजिट खाते/बचत खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
9. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्ताव किया गया है उस मद में धनराशि बचत के रूप में उपलब्ध हो। धनराशि उपलब्ध न होने की दशा में पुनर्विनियोग स्वतः निरस्त माना जाएगा।
10. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण/सूची तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का जनपद/माहवार विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। इसे विभागीय वेबसाईट पर भी अंकित किया जायेगा।
11. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग-1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
12. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/67149/2022 दिनांक 29 सितम्बर, 2022 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-84/XXVII(1)/2016, दिनांक 26 जुलाई, 2016 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
14. पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
15. उक्त योजना हेतु धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017/प्रोक्योरमैन्ट रूल, 2017 तथा अन्य शासनादेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
16. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड तथा सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा समय-समय पर निर्माण कार्यों की प्रगति से शासन को भी अवगत कराया जाय। तथा वर्तमान में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रिम किश्त अवमुक्त की जायेगी।
17. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए।
18. वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-290/XXVII(7)/ 2012

I/224405/2024

दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाय।

2 - इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-12 के लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के मानक मद-53-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक-223965/2024 दिनांक 10 जुलाई, 2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० आर० राजेश कुमार),
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
3. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर/हल्द्वानी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
6. गार्ड फाईल।